उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Transmission Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)
Website: www.upptcl.org | E-mail:corporateaccounts@upptcl.org
CIN. NO. U40101UP2004SGC028687 | GSTIN: 09AAACU8823E1Z9

शक्ति भवन विस्तार 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001 | Shakti Bhawan Ext., 14-Ashok Marg, Lucknow-226001

पत्रांक – /उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0/मु0/लेखा/F-236 दिनांक– 26.12.2022

निर्देशिका–1 (संशोधित)

विषयः– जमा मद के अंतर्गत प्राप्त अंशदान को कार्य (Works) एवं पर्यवेक्षण प्रभार (Supervision Charges) पर आंवटित करने के संबंध में।

एतदद्वारा पूर्व निर्गत निर्देशिका–1 पत्रांक 1363/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0/मु0/लेखा/F-236 दिनांक 23.12.2022 में आशिंक संशोधन करते हुये संशोधित निर्देशिका निम्नवत् जारी की जाती है :–

क्षेत्रीय इकाईयो द्वारा जमा मद के अंतर्गत प्राप्त अंशदान को दो भागों क्रमशः कार्य (Works) तथा पर्यवेक्षण प्रभार (Supervision Charges) हेतु अंशदान में विभाजित करते हुये, कार्य (Works) हेतु अंशदान को निधि प्रबन्ध इकाई द्वितीय (FMU-II) तथा पर्यवेक्षण प्रभार (Supervision Charges) हेतु अंशदान को निधि प्रबन्ध इकाई–प्रथम (FMU-I) को अंतरित किया जाता है। इस क्रम में अंशदान विभाजन हेतु आगणन पर अतिरिक्त स्पष्टता प्रदान करने के निमित्त अंशदान विभाजन के आगणन की विधि को पुनः वर्णित किया जा रहा है।

अंशदान को कम्पनी के अंतर्गत समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार नियत दरों के आधार पर विभाजित किया जायेगा। यह मानते हुए कि पर्यवेक्षण प्रभार की दर 'x' है ऐसी स्थिति में अंशदान का विभाजन निम्नवत् किया जायेगाः–

1. Deposit works Contribution for works = Deposit contribution (Net off GST) X $\frac{100}{(100+x)}$

2. Deposit works Contribution for Supervision Charges = Deposit contribution (Net off GST) X $\frac{x}{(100+x)}$

उदाहरणार्थ– मे0 *XYZ Ltd* द्वारा 132 केवी 'बे' के निर्माण हेतु ₹ 1,16,000.00 (₹ 1,00,000+18% GST-2% TDS) अंशदान के रूप में प्राप्त हुये। ऐसी स्थिति में यदि पर्यवेक्षण प्रभार की दर 15% है तो अंशदान का विभाजन निम्न प्रकार किया जायेगाः–

1. Deposit works Contribution for works = 1,00,000 X $\frac{100}{(100+15)}$ = ₹ 86,957.00

2. Deposit works Contribution for Supervision Charges = 1,00,000 X $\frac{15}{(100+15)}$ = ₹ 13,043.00

अग्रेतर यदि जमाकर्ता द्वारा TDS आदि की कटौती अंशदान से की गयी है तो इसका समायोजन कार्य (Works) हेतु अंशदान से किया जायेगा अर्थात उपरोक्त उदाहरण में FMU-I को प्रेषित की जाने वाली शुद्ध धनराशि ₹ 13,043.00 होगी तथा पर्यवेक्षण प्रभार (Supervision Charges) हेतु अंशदान के रूप में धनराशि ₹ 84,957.00 {86,957.00-2,000.00(TDS)} FMU-II के पक्ष में अंतरित की जायेगी।

(प्रभात गुप्ता)
उप मुख्य लेखाधिकारी
(कारपोरेट लेखा)

पत्रांक – 1360/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0/मु0/लेखा/F-236 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (वित्त)/(का0प्र0 एवं प्रशासन)/(कार्य एवं परियोजना)/(ऑपरेशन)/(वाणिज्य एवं नियोजन), उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता, (पारेषण दक्षिण पूर्व)/(पारेषण उत्तर पूर्व)/(पारेषण मध्य)/(पारेषण पश्चिम)/(पारेषण दक्षिण पश्चिम)/(पारेषण दक्षिण मध्य)/जानपद पारेषण (प्रथम/द्वितीय)/संचार एवं नियंत्रण, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, प्रयागराज/गोरखपुर/ लखनऊ/मेरठ/आगरा/झांसी।
3. उप महाप्रबंधक (वित्त एंव लेखा) उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. परिक्षेत्रीय लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, (पारेषण दक्षिण पूर्व)/(पारेषण उत्तर पूर्व)/(पारेषण मध्य)/(पारेषण पश्चिम)/(पारेषण दक्षिण पश्चिम)/(पारेषण दक्षिण मध्य), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, प्रयागराज/गोरखपुर/ लखनऊ/मेरठ/आगरा/झांसी।
5. लेखाधिकारी (निधि प्रबन्ध–प्रथम)/(निधि प्रबन्ध–द्वितीय)/(ऋण प्रबन्ध इकाई)/(मुख्यालय भुगतान इकाई)/(कारपोरेट टैक्स)/(आई0यू0टी0), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अधीशासी अभियन्ता, (वेब), सम्बद्ध निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन (विस्तार), लखनऊ को वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
7. कट फाइल।

(प्रभात गुप्ता)
उप मुख्य लेखाधिकारी
(कारपोरेट लेखा)